



75 सालों में भारत के हाशियाकृत समाज की राजनीतिक भागीदारी - एक विमर्श

पर्वत कुमार कृष्णा

शोधार्थी, पी. एच. डी. (राजनीति विज्ञान)ए कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

Corresponding Author-पर्वत कुमार कृष्णा

E-mail & parwatkrishna@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7070615

सारांश -

देश में राजनीतिक विकास के आरंभ से लेकर, अब तक के समय में, समाज का हाशियाकरण होता रहा है। इस सन्दर्भ को प्राचिन साहित्य और वर्तमान परिवेश स्पष्ट करता है। जिसमें समाज के एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा राज्य के सभी क्रियाकलापों में हिस्सा लिया जाता है और उनके द्वारा ही राज कार्य का संचालन किया जाता है। जबकी हाशिए में स्थित समाज, जिन्हें उपाधित वर्ग या समाज का उपेक्षित वर्ग भी कहा जाता है, राजनीतिक भागीदारी की अवसरों से लम्बे समय से वंचित रखा गया है, और आज भी यह वर्ग बराबरी का दावा करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। यह वर्ग धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर शताब्दियों से व्यापक भेदभाव का शिकार रहे हैं। हालांकि औद्योगिक विकास के साथ, आजादी के बाद से, भारत में हाशिए के समाज के कुछ हिस्सों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास हुआ है। लेकिन ग्रामिण व आदिवासी क्षेत्रों में अब भी राजनीतिक चेतना का समुचित विकास नहीं होने के कारण राजनीतिक भागीदारी अत्यन्त पिछड़ी हुई है। शासन के विकेन्द्रीकरण ने इन्हें मुख्यधारा में लाने का काम अवश्य किया है, लेकिन अब भी यह शोषित समाज के रूप में फ्रंट पर है। समाज के हाशिएकरण की स्थिति से बाहर निकालकर, यदि इन नागरिकों को अधिक से अधिक राजनीतिक भागीदारी के अवसर प्रदान किया जाए। और अवसर को पहचानने एवं उपयोग के लिए वृहद स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए, तो वह सार्वजनिक समस्याओं पर व्यापक रूप से विचार - विमर्श करेंगे और देश के राजनीतिक क्रियाकलापों पर निगरानी रखेंगे। जिससे राज्य द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और शासन व प्रशासन के भ्रष्टाचार को नियंत्रण में रखा जा सकेगा। जो राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होगा। अतः राजनीतिक भागीदारी नागरिकों के उत्तम जीवन और उत्तम समाज के निर्माण के लिए उतना ही आवश्यक है, जितना आज नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द - शिक्षा, चेतना, विकास, वर्ग, व्यवस्था।

प्रस्तावना -

राजनीतिक भागीदारी एक प्रकार का क्रियाकलाप है। जिसके माध्यम से व्यक्ति या समाज, राष्ट्र के राजनीतिक गतिविधियों में अपना सक्रिय योगदान देता है और सरकार के सार्वजनिक नीतियों एवं निर्णयों को प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। भारत में हाशियाकृत समाज का विन्हांकन दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं स्त्रियों के रूप में किया जाता है। समाज का हाशिया करण संकिर्ण चिंतन, धर्मांध वातावरण, विकृत सामाजिक व्यवस्था एवं त्रुटिपूर्ण शिक्षा पाठ्यक्रम व संस्कृति कि नकारात्मक व्याख्या संग गलत प्रचलन व्यवस्था कि देन है। जिसका परिणाम आज सम्प्रदायिक दंगों और धार्मिक हिंसा के रूप में सामने आता है। देश में जब तक हाशिए में स्थित वर्गों के विकास का समुचित निदान नहीं होगा, तब तक विकसित राष्ट्र कि परिकल्पना सार्थक होना सम्भव प्रतित नहीं होता क्योंकि राजनीतिक भागीदारी, सरकार और नागरिकों के मध्य दो तरफा एक्टिव इंटरेशन है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक भागीदारी के पक्ष में तीन तर्क दिए जाते हैं।

1- इंड्रुमेंटल तर्क - इस तर्क प्रणाली के अंतर्गत, नागरिकों द्वारा देश के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से पहले व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिसमें वह अपने पक्ष में यह अनुमान लगाता है कि, राजनीतिक भागीदारी से उसे कितना लाभ होगा और कितना नुकसान उठाना पड़ेगा।

2- विकासवादी तर्क - यह तर्क प्रणाली नागरिकों के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चेतना के विकास का परिणाम होता है। जो राजनीतिक भागीदारी के लिए लोगों में जागरूकता को बढ़ाता है।

3- समुदायवादी तर्क - यह तर्क प्रणाली बाजार समाज व्यवस्था और उदारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। इसके अंतर्गत, लोगों की राजनीतिक भागीदारी से सामुदायिक हितों या सामान्य हितों का विकास होता है।

उद्देश्य -

1- हाशिए के समाज कि राजनीतिक भागीदारी की स्थिती में सुधार के लिए उपाय प्राप्त करना।

2- हाशिए के समाज की राजनीतिक भागीदारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।

3- राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले मूल कारको कि पहचान करना।

परिकल्पनाएं -

1- हाशिए के समाज कि राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि अपेक्षित है।

2. सामाजिक चेतना, राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करता है।

3- राजनीतिक भागीदारी राष्ट्र कि सुदृढ़ता को सुनिश्चित करता है।

शोध प्रविधि & प्रस्तुत अध्ययन में विश्लेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन द्वितीयक डाटा पर आधारित है।

मूल्यांकन - समाज की राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक चेतना के विकास का पर्याय है। राष्ट्र और समाज का विकास, राजनीतिक चेतना के विकास पर निर्भर करता है। अतः राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक विकास को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। जो देश के विकास को मजबूत आधार देता है। **टी. एच. ग्रीन के विचार** से, मनुष्य का राजनीतिक भागीदारी का दायित्व राज्य के प्रति नहीं बल्कि समाज के प्रति होता है। नागरिक और समाज दोनों में प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में **ग्रीन का मत** है कि, समाज के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं होते, यह बात इतनी ही सच है कि, व्यक्तियों के बिना ऐसा कोई समाज नहीं हो सकता, जैसा कि हम जानते हैं। **कॉर्ल मॉवर्स** ने राजनीतिक भागीदारी के संबंध में यह तर्क दिया है कि, जब तक समाज में प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्गों का अस्तित्व बना हुआ है, तब तक व्यक्ति या समाज के राजनीतिक भागीदारी का प्रश्न निरर्थक है। इसी परिप्रेक्ष्य में **रजनी कोठारी** ने लिखा है कि, भारतीय समाज राजनीतिक दृष्टि से **अराजनीतिक समाज** है। हाशिए के समाज की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सुधार के लिए संविधान में

विशेष प्रावधान किए गए हैं, एवं विभिन्न आयोगों का गठन भी किया गया है। किन्तु व्यवहार के स्तर पर हाशिए के समाज की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सका है।

हाशिए के समाज की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक &

विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत - पैंटे और मोस्का के इस सिद्धांत के अनुसार, किसी भी सामाजिक समूह में नेतृत्व और महत्वपूर्ण निर्णय का कार्य, गिने तुने लोगों द्वारा किया जाता है। जिसे अभिजन या विशिष्ट वर्ग या फिर कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। इनकी संख्या कम होती है। लेकिन समाज में यह अपनी योग्यता, क्षमता, परिश्रम, नेतृत्व और संगठन के बल पर अपना विशेष स्थान रखते हैं। समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, गतिविधियों पर इनका ही नियंत्रण रहता है। हाशिए के समाज के नागरिक को इन विशिष्ट वर्गों के दिशानिर्देशों पर निर्भर होना पड़ता है।

जातीयता -

भारत में जातीयता वाद, राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाला राजनीतिक भागीदारी का महत्वपूर्ण पायदान है। यह गंभीर सामाजिक कुरीति है। जिसने समाज का हाशियाकरण करके रखा है। आज जातीयता वाद ने भारतीय संविधान के अस्तित्व के ऊपर खतरे के रूप में अपनी पहचान बना रखी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्गों का संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व में यह बाधक बना हुआ है। 2008 के परिसीमन के पहले अनुसूचित जाति वर्ग को 32-51 प्रतिशत स्थान प्राप्त था, जो कि परिसीमन के बाद 15-46 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति वर्ग को 2008 परिसीमन पूर्व 16-87 स्थान प्राप्त था, जो कि परिसीमन के बाद 8-65 प्रतिशत है। देश के लोकतांत्रिक प्रणाली में जाति व्यवस्था लोकतंत्र के विरोधाभास के रूप में स्थित है।

	सीटें (संसद में)	अनुसूचित जाति	अ. जा. प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	अ. ज. जा. प्रतिशत
2008 परिसीमन पूर्व	243	79	32-51	41	16-87
2008 परिसीमन उपरांत	543	84	15-46	47	8-65

चार्ट - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कि संसद में स्थिति।

धार्मिक कारक - भारतीय समाज, धर्म के आधार पर बंटा हुआ है। जिसका लाभ अंग्रेजों ने भी अपना शासन व्यवस्था कारगर रखने के लिए उठाया था। यह राजनीतिक शक्ति अर्जन का साधन बन चुका है। राजनीतिक लाभ के लिए इसके माध्यम से सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न किये जाते हैं। समाज के हाशियाकरण में इसका व्यापक योगदान है। यह देश में आपसी

वैमनस्य और विकृत भेदभाव का प्रमुख आधार स्तम्भ बना हुआ है।

क्षेत्रीयता & क्षेत्रीयता वाद भारतीय समाज में **संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति** को व्यक्त करता है। यह नागरिकों में राष्ट्रीयता को भावना को गौण बना देता है, और संकीर्ण क्षेत्रीय हितों को प्रमुखता प्रदान करता है। यह किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को संगठित करने और राष्ट्रीय एकता को विघटित करने का प्रमुख

माध्यम के रूप में वक्त हुआ है। भारत की भौगोलिक की स्थिति, संरचना, जलवायु, भूमि एवं जैविक और अजैविक तत्व आदि देश की राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है और राजनीतिक गतिविधियों से देश की भौगोलिक तत्व भी प्रभावित होता है। समाज के हाशियाकरण में इसके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

शिक्षा प्रणाली & शिक्षा प्रणाली राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कथन है कि, शिक्षा, समाज का दर्पण होता है। अतः

विकासशील शिक्षा ही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास आदि को गति प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, आजादी के वर्ष 1947 में भारत का लिटरेसी रेट मात्र 12 प्रतिशत था। जो वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार, लिटरेसी रेट वृद्धि के साथ 74 प्रतिशत हो चुका है। शिक्षा से वेतना जाग्रत होती है। अतः शिक्षा उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रमुख साधन है।

प्रति दस वर्ष में	महिला लिटरेसी प्रतिशत	पुरुष लिटरेसी प्रतिशत	देश में कुल लिटरेसी प्रतिशत
1951	8.86	27.16	18.33
1961	15.35	40.4	28.3
1971	21.97	45.95	34.45
1981	29.76	56.38	43.57
1991	39.29	64.13	52.21
2001	54.16	75.85	65.38
2011	65.46	82.14	74.04
2021	70.3	84.7	77.7

चार्ट - देश में लिटरेसी प्रतिशत का विवरण, महिलाओं की स्थिति।

स्रोत - मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट।

आर्थिक परिवेश -

समकालिन राजनीतिक चिंतन के अन्तर्गत आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता के आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाता है। जो व्यापक रूप से राजनीतिक गतिविधि को प्रभावित और राजनीतिक

भागीदारी को सुनिश्चित करती है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप देश में व्यापक आर्थिक बदलाव सामने आए हैं, जिससे आम लोगों की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। जिसमें हाशिया कृत समाज का एक भाग भी सम्मिलित है।

क्रमांक	शहरी धार्मिक व जातिय समूह में गरीबी प्रतिशत (वर्ष 2011&12 में)	ग्रामीण धार्मिक व जातिय समूह में गरीबी प्रतिशत (वर्ष 2011&12 में)
1	हिन्दू 20-4	हिन्दू 22-6
2	मुसलमान 38-4	मुसलमान 26-9
3	अन्य अल्पसंख्यक 12-2	अन्य अल्पसंख्यक 14-3
4	हिन्दू सामान्य वर्ग 8-3	हिन्दू सामान्य वर्ग 9
5	अन्य पिछड़ा वर्ग 25-1	अन्य पिछड़ा वर्ग 19-5
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 36-4	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 34-8

चार्ट - भारत में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए में स्थित वर्गों गरीबी प्रतिशत।

स्रोत - विकिपीडिया।

रूढ़िवादी परंपरा -

इस दृष्टिकोण के अनुसार, ज्यादातर ग्रामीण समाज एवं आदिवासी समाज कुप्रथाओं का गढ़ रहा है। समाज वह प्लेटफार्म था, जहां प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा परंपरा का निर्धारण कर उसे सर्वमान्य नियम घोषित कर, अनगिनत अमानवीय कृत्यों को अंजाम दिया गया। आज भी यह परंपरा हाशिए के समाज के राजनीतिक भागीदारी के मार्ग में बाधक बनी हुई है। छुआ - छुत

जैसे विकृत परम्परा के व्यवहार से सम्बन्धित घटनाओं कि खबरें अब भी आए दिन अखबारों के फ्रंट में रहती है। जो देश के संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देती प्रतीत होता है।

जनसंख्या -

भारत की प्रथम जनगणना रिपोर्ट 10 फरवरी 1951 के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या 36-10 करोड़ थी।

जिसमें महिला और पुरुष का जनसंख्या अनुपात 0-946@1 था। जो जनसंख्या विस्फोट के कारण वर्तमान में कुल जनसंख्या 140-54 करोड़ हो गई है एवं जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। आजादी के समय शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में 17 प्रतिशत

था, जो अब वर्तमान में बढ़कर 35 प्रतिशत हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट कि तुलना में भारत कि अबादी चार गुना तेजी से बढ़ी है। विशाल जनसंख्या और संसाधनों कि आपूर्ति कि समस्या समाज के हाशियाकरण को भी बढ़ाता है।

वर्ष	भारत की जनसंख्या	भारत की जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि. मी.)	यू. एस. की जनसंख्या	यू. एस. की जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि. मी.)
1955	40]98]80]595	138	17]16]85]336	19
1965	49]91]23]324	168	19]97]33]676	22
1975	62]31]02]897	210	21]90]81]251	24
1985	78]43]60]008	264	24]04]99]825	26
1995	96]39]22]588	324	26]51]63]745	29
2010	1]23]42]81]170	315	30]90]11]475	34
2017	1]33]86]76]785	450	32]50]84]756	36
2020	1]38]00]04]385	464	33]10]02]651	36

चार्ट - भारत और यू. एस. कि (तुलनात्मक) जनसंख्या ग्रोथ।

स्रोत - वर्ल्डोमीटर डन्फो।

पितृ तंत्रीय दृष्टिकोण -

मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र पितृ तंत्र दृष्टिकोण से अछूता नहीं रहा है। पितृ तंत्रीय दृष्टिकोण, समाज के विभिन्न वर्गों और अनेकों क्षेत्रों में आज भी देखा जा सकता है। नारीवाद के अनुसार, स्त्रियों के प्रति पितृ तंत्रीय दृष्टिकोण, **पुरुषों की सामाजिक व्यवस्था** ने कायम कर रखा है। इस व्यवस्था ने स्त्रियों के जीवन के व्यक्तिगत और सार्वजनिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित

किया है, और उस पर पुरुषों के अधिपत्य को भी दर्शाता है। इस व्यवस्था के कारण उन्हें अपनी चेतना के विकास के अवसरों और अधिकारों से वंचित रहना पड़ा है। **नारीवादी सिद्धांत** ने यह सिद्ध किया है कि, इस वैज्ञानिक वितन के दौर में स्त्री व पुरुष की मानसिक क्षमताओं, योग्यताओं, और उत्तरदायित्व के निष्पादन आदि में कोई अंतर नहीं रह गया है।

निर्वाचन वर्ष	कुल निर्वाचित सिटें	निर्वाचित महिलाएं	प्रतिशत में
1952	489	22	4-49
1957	494	27	5-46
1962	494	34	6-88
1967	520	31	5-96
1971	518	22	4-24
1977	542	19	3-50
1980	542	28	5-16
1984	542	44	8-11
1989	543	27	4-97
1991	543	39	7-18
1996	543	40	7-36
1998	543	43	7-91
1999	543	49	9-02
2004	543	45	8-28
2009	543	59	10-86
2014	543	62	11-41
2019	543	78	14-36

चार्ट - लोकसभा में महिलाओं कि स्थिति से सम्बन्धित आंकड+sA

विकासशील संचार साधन -

राजनीतिक भागीदारी को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने का कार्य संचार साधनों के विकास ने किया है। संचार साधनों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, व इंटरनेट इत्यादि आधुनिक माध्यम शामिल हैं। इन संचार माध्यमों के द्वारा राजनीतिक गतिविधियों को जनसाधारण के ध्यान में लाया गया। जिससे उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष -

Hkkjr में शहरीकरण के साथ - साथ नैतिक व संस्कृत चेतना का पश्चिमीकरण भी समाज में परिलक्षित हुआ है। आजादी के इन 75 वर्षों में हाशिए के समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण चेतना का व्यापक विस्तार हुआ है। भारत को ग्रामों का राष्ट्र कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल ग्राम पंचायतों कि संख्या 269697 हैं, एवं जनगणना 2011 के आधार पर] 649481 गांव में, भारत कि 70 प्रतिशत लोग निवास कर रहे हैं। भारत के गांव रूढ़िवादी विचारधारा के मकड़जाल से बाहर निकल कर, वैज्ञानिक विचारों को अपनाते लगे हैं। किंतु विकसित राष्ट्रों की तुलना में यहां सामाजिक संस्थाओं का पूर्ण रूप से विकास नहीं होने के कारण, ग्रामीण समाज की राजनीतिक भागीदारी एवं हाशिए में स्थित समाज कि राजनीतिक भागीदारी आज भी निचले पायदान पर है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व लोकसभा में आज भी महज 15 प्रतिशत भी नहीं पहुंच पायी है। जो कि हाशिए में स्थित महिलाओं के नेतृत्व के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को सिद्ध करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच, सड़कों के विकास, संचार क्रांति ने गांवों को विकास का रास्ता दिखाया है। ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर लोगों के चेतना में बदलाव लाकर उनकी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया है। आंकडों के अध्ययन से पता चलता है कि, आजादी के 75 वर्षों में समाज कि राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। जिसे समाज कि राजनीतिक चेतना के विकास का परिणाम कहा जा सकता है। हाशिए के समाज की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए देश के संविधानिक प्रावधानों के अनुरूप स्थापित आयोगों व संस्थानों द्वारा इन्हें वृहद स्तर में प्रशिक्षित करने कि आवश्यकता है, जो कि एक व्यवहारिक कार्य है।

सुझाव -

मानव समाज विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ है। जो कि उनकी निजी हितों कि अभिव्यक्ति होती है। समाज में निजी हितों के विचारधारात्मक प्रवृत्ति ने समाज का हाशियाकरण किया है। जिनसे वर्ग विभेद उत्पन्न हुआ है। किसी भी परिवेश में, समाज में वर्ग विभेद को

पूर्णतः समाप्त किया जाना असम्भव सा है, लेकिन विधि द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में संवैधानिक अधिकारों कि व्यवस्था ने हाशिए के समाज को राजनीतिक भागीदारी उपलब्ध कराकर, वर्ग भेद को नियंत्रित किया है। इसके बाद भी हाशिए के समाज के लिए समानता भ्रमजाल है, क्योंकि समानता, स्वतंत्रता कि पूरक व्यवस्था है। और आज भी इस वर्ग का व्यापक भाग मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाया है या फिर इन्हें स्वतंत्र होने नहीं दिया जा रहा, यह शोध का विषय है। राजनीतिक चेतना के विकास और राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि के लिए, हाशिए के समाज का, साहित्यिक समाज में परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि “साहित्य, समाज का दर्पण ही नहीं अपितु समाज, साहित्य का प्रतिरूप भी है।”

संदर्भ ग्रंथ सूची -

- 1- फड़िया, डॉ. बी. एल. एवं फड़िया, डॉ. कुलदीप 1/42019 1/2 “भारतीय शासन एवं राजनीति”, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (उ.प्र.)
- 2- गाबा, ओम प्रकाश 1/42018 1/2 “राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा”, मयुर बुक्स, दरियागंज, नयी दिल्ली
- 3- गाबा, ओम प्रकाश 1/42018 1/2 “राजनीति विज्ञान विश्वकोश”, मयुर बुक्स, दरियागंज, नयी दिल्ली
- 4- लक्ष्मीकांत, एम. 1/42022 1/2 “भारत की राजव्यवस्था”] McGraw Hill Education (India) Private Limited, Chennai
- 5- कुमार, रितेश (2021) “सामान्य ज्ञान”, काउन पब्लिकेशन, रांची - 834001

वेब सोर्स &

- 1- <https://knowindia.india.gov.in/profile/literacy>
- 2- <https://eands.dacnet.nic.in/Agricultureat>
- 3- https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_India
- 4- https://en.wikipedia.org/wiki/India_a_State_Hunger_Index
- 5- <https://eci.gov.in/files>
- 6- <https://en.wikipedia.org/wiki/Women>

समाचार पत्र &

- 1- नवभारत दैनिक समाचार पत्र
- 2- दैनिक भास्कर